Building Better Tomorrow

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

राजापुर पुल, पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, पटना– 800001

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं0 BUIDCo/Vi-282/19–180 दिनांक 26/6/19

परिवादी श्री राम जी राणा से प्राप्त शिकायत पत्र पर माननीय सदस्य लोकायुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक निगरानी (लोकायुक्त कोषांग) को जाँच करने का आदेश दिया गया।

पुलिस अधीक्षक निगरानी (लोकायुक्त कोषांग) की जाँच रिपोर्ट का सार इस प्रकार है– निगरानी कोषांग द्वारा सैंपल के तौर पर कुछ चापाकल की गहराई का भौतिक सत्यापन किया गया एवं 90 फीट के बदले 60–65 फीट पाया गया। इन चापाकलों की नापी श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता, बुडको, रोहतास द्वारा की गयी थी। पुलिस अधीक्षक, निगरानी कोषांग, लोकायुक्त कार्यालय, पटना के जाँच रिपोर्ट में उन त्रुटियों के लिए प्रथम दृष्टया श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता एवं क्रय समिति के सदस्यगण को दोषी ठहराया गया है।

पुलिस अधीक्षक निगरानी (लोकायुक्त कोषांग) के जाँच रिपोर्ट के आलोक में माननीय सदस्य, लोकायुक्त द्वारा दिनांक 13.04.18 को आदेश पारित करते हुए श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता, बुडको रोहतास के विरूद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता की सेवा जल संसाधन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित कर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई गई थी। बुडको में डुडा के विलयन के पश्चात् श्री कुमार द्वारा दिनांक 01.12.18 को बुडको कार्यालय में योगदान दिया गया था। उनकी सेवा अवधि का विस्तार दिनांक 25.12.18 को समाप्त हो चुका है। बुडको के कार्यालय आदेश सं0 83–सहपठित–ज्ञापांक 963, दिनांक 02.03.19 के माध्यम से श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता का पदस्थापन रोहतास जिलान्तर्गत नगर परिषद विक्रमगंज में किया गया था एवं कनीय अभियंता, नगर पंचायत कोचस का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। माननीय सदस्य, लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री संतोष कुमार के विरूद्ध कार्रवाई किस विभाग से की जानी है, इस बिंदु पर नगर विकास एवं आवास विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग से यह निदेश प्राप्त हुआ कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2690, दिनांक 16.05.18 के आलोक में बिहार राज्य जल पर्षद, बुडा एवं डुडा के अभियंताओं का बुडको में विलयन दिनांक 30.11.18 से प्रभावी होने के फलस्वरूप श्री कुमार अपने सेवा शर्त्तों के अनुरूप बुडको में समाहित हो गये है। सम्प्रति श्री कुमार बुडको के ही अभियंता हैं। फलस्वरूप इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई बुडको के स्तर से ही अपेक्षित है।

माननीय लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश के आलोक में पुलिस अधीक्षक निगरानी (लोकायुक्त कोषांग) की जाँच रिपोर्ट में वर्णित आरोपों के संबंध में श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता से पत्रांक 2442, दिनांक 03.06.19 के माध्यम से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा दिनांक 10.06.19 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाया गया। इस स्थिति में बुडको सर्विस रेगूलेशन, 2010 के Clause 6.10 के अंतर्गत Major Penalties की कंडिका (f) के तहत् श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता की सेवा अवधि का विस्तार नहीं करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त (Removal from service) किया जाता है।

ह0/–
प्रबंध निदेशक,
बुडको, पटना

ज्ञापांक 2839 /   दिनांक 26/6/19 /

प्रतिलिपिः–

1. श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता, नगर परिषद विक्रमगंज, जिला– रोहतास, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कोचस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. कार्यपालक अभियंता, बुडको, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस आदेश का तामिला श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता को करवाना सुनिश्चित करें तथा तामिला प्रतिवेदन बुडको मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
4. अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. सभी मुख्य अभियंता / संबंधित अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, बुडको को सूचनार्थ प्रेषित।
7. महाप्रबंधक (प्रशासन) / महाप्रबंधक (वित्त) / प्रबंधक (वित्त), (मुख्यालय एवं एस0आई0यू0) / कंपनी सचिव / प्रबंधक (विधि) / प्रबंधक (सूचना तकनीकी) / प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना / प्रबंध निदेशक कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित।

25.6.19

प्रबंध निदेशक,
बुडको, पटना